

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....बनाम.....

किरम मुकदमा.....नं. ....सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
13/1/12	<p>बकील उमयपक्ष द्वारा रिपोर्ट हलवती पत्राण दिनांक 17/1/12 को</p> <p>(पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	24/12
17/1/10	<p>अधिकृतान उप० पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वा. ह. व. 01 दिनांक 23/1/10 को</p> <p>देवी 5/12 प्राप्त</p> <p>(पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	100/10 5/12
23/1/18	<p>बकील उमयपक्ष उपी वलस उमयपक्ष हुकीरु पत्राण वाके निर्णय सुनाने के दिनांक 24/1/18 को पेश की</p> <p>(पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	24/1
24/1/18	<p>पत्राण वाके निर्णय सुनाने के पेश डरि इमील इपीलाट स्वारिक की (अमीट) विरुद्ध निर्णय पत्र से विरुदा जाके शांतिपत्र मिया गपा विराडर बाद निर्णय केसस कुमार के कारिके दाखल जमा के समे)</p> <p>(पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	24/1

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 14/175

कैलाश आत्मज जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—अपीलान्त

### बनाम

मंदिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन (शा0 ना0) जरिये हितेषी जागीरदार महाराज श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज शिवनन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से।  
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

### निर्णय

दिनांक: 24.01.2018


1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद बेदखली का ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति के नाम खातेदारी की भूमि जिस पर प्रतिवादी ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा किया हुआ है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी मंदिर मूर्ति को संभलाया जावे और प्रतिवाद पर शास्ति कायम की जावे।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.06.2014 को मौके पर आकर अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी देने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में मूर्ति मंदिर की ओर से हितेषी जागीरदार महाराज विजेन्द्र सिंह को मानते हुए वाद प्रस्तुत किया है जबकि वाद पेश करने का अधिकार मूर्ति मंदिर की ओर से मात्र मंदिर पुजारी व रजिस्टर्ड ट्रस्ट को होता है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन के खाते दर्ज है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी को मंदिर मूर्ति की ओर से वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 निरस्त फरमाया जावे ।
9. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वह वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन व्यवस्थापक जगीरदार शिवनन्दन सिंह बलवन के नाम खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर एक अजनवी व्यक्ति है जिसे रेस्पोंडेन्ट की भूमि अर्थात् मंदिर मूर्ति के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है और उसके हितों रक्षा करना न्यायालय का भी दायित्व है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जावे ।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन व्यवस्थापक जगीरदार शिवनन्दन सिंह बलवन के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्त वादग्रस्त आराजी पर एक अजनवी व्यक्ति है जिसे रेस्पोंडेन्ट की भूमि अर्थात् मंदिर मूर्ति के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है और उसके हितों रक्षा करना न्यायालय का भी दायित्व है। हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जाता है।
13. निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज कुमार ओझा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री  
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
बड़जलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/175

कैलाश आत्मज जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

बनाम

मंदिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन (शा0 ना0) जरिये हितेषी जागीरदार  
महाराज श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज शिवनन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवन तहसील  
इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी  
जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्या: 05/दावा/2012

मंदिर मूर्ति श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन (शा0 ना0) जरिये हितेषी जागीरदार  
महाराज श्री विजेन्द्र सिंह आत्मज शिवनन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवन तहसील  
इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

—वादी

## बनाम.

न्द्या आत्मज कंवरिया जाति मीना आयु 75 वर्ष निवासी ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ  
जिला बून्दी ।

—प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 24.01.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं प्रत्यर्थी रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2013 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं ।

यह डिक्री आज तारीख 24.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा